Authoritative English Text of this Department Notification No. LCD-B(1)-4/2011 Dated 1.10.2012 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh Department of Language Art and Culture

No LCD-B(1)-4/2012

Dated: shimla-171002, the I, October 2012.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Deputy Director (Language), Class-I, (Gazetted), in the Department of Language Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

Short title and 1 Commencement

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Language Art and Culture, Deputy Director (Language), Class-I, (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2012.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal and Savings

2

- (1) The Himachal Pradesh Department of Language Art and Culture, Deputy Director (Language), Class-I, (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules,1988 notified vide notification No. Bhasha-A(3)-18/86 dated 20th September 1988 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken the relevant rules so repealed

under sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By Order

Principal Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh.

No. LCD- B(1)-4/2011 Dated: Shimla-171002, 1st October, 2012. Copy forwarded to:-

- 1. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
- 2. Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2, with reference to letter.
- 3. Director, LAC, Himachal Pradesh.
- 4. The Controller, P&S, Himachal Pradesh for favour of Publication in the Rajpatra.
- 5. ALR-cum-Deputy Secretary (Law), H.P. Sectt, Shimla-2.
- 6. 100 spare copies.

Under Secretary (LAC) to the Government of Himachal Pradesh.

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR(LANGUAGE) CLASS-1(GAZETTED). IN THE DEPARTMENT OF LANGUAGE, ART & CULTURE-HIMACHAL PRADESH.

1	Name of the Post:	Deputy Director (Language)		
2.	Number of Post(s)	01(One)		
3.	Classification	Class-I (Gazetted)		
4.	Scale of Pay	 (i) Pay scale for regular incumbents: Pay Band ₹.10300-34800+ ₹. 5400/-Grade Pay (ii) Emoluments for contract employees ₹.15700/ as per details given in Col. No. 15-A. 		
5.	Whether "Selection "post or "Non selection" post	Selection		
6.	Age for direct recruitment	45 years and below.		

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(I) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange, as the case may be.

.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s)	(a) Essential Qualifications: (i) Should have passed Master's Degree in Hindi or Sanskrit with 50% marks from a recognized University. (b) Desirable Qualification(s):- 1. Should possess Ph.D. Degree or must have	
		published creative or research work in Hindi, Sanskrit, Pahari, Pahari Culture or Urdu. 2. Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.	
8.	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s);	Age: Not Applicable Educational Not applicable Qualifications:	
9.	Period of Probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.	
10.	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.	100% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by direct recruitment on contract basis failing both on secondment basis as the case may be.	
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made	By promotion from amongst the Assistant Director (Language), Assistant Director (Publication) Editor and Etymologist having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. Failing which by promotion from amongst	

the Assistant Director(Language), Assistant Director (Publication), Editor and Etymologist with 10 years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Assistant Director (Language)Assistant Director (Publication.) Editor/Etymologist and Senior Research Assistant/Distric t Language Officer which shall include two years essential as Assistnat Director(Language). service Assistant Director(Publication), Editor and Etymologist failing which by direct recruitment on regular basis or recruitment on contract basis, as the case may be.

Failing both on secondment basis from amonst the incumbents of this post working in the identical pay scale of this post from other Govt. Department as the case may be.

Provided that for the purpose of promotion, a combined seniority list of Assistant Director(Language), Assistant Director(Publication), Editor and Etymologist shall be prepared on the basis of length of service rendered by them in their respective post.

A(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation:

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult areas shall be transferred to such, areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I: For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II: For the purpose of proviso I supra the Tribal/ Difficult Areas shall be as under:-

- 1. District Lahaul & Spiti.
- 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

- 4. Pandrah Bis Pargana Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of Distt. Shimla.
- 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6. Bara Bhangal area of Baijnath Sub-Division of Kangra District.
- 7. Distt. Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.
- 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil Jharwar, Kutgarh. Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog Silh Hastpur, Badhwani, Ghamrehar Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District

B(1). In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:

The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen

recruited under the provisions of Rule- 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules,1985 and having been given the benefit of Seniority there- under. (2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc Service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be into account towards the length of service, if the appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules: Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged. 12. DPC to be presided over by the Chairman, H.P. Departmental promotion committee Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him. what is exists, its composition? 13 Circumstances under As required under the law. which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. 14 Essential requirement for a A candidate for appointment to any service of direct recruitment post must be a citizen of India. 15 Selection for appointment Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis post bν direct to recruitment. of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be 15.A Selection for appointment Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be to the post by contract made subject to the terms and conditions given appointment below:-(I) Concept: (a) Under this policy the Deputy Director (Language) in Department of Language, Art and Culture, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis: Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then hisr period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW of HP PSC: -

The Principal Secretary/Secretary (LAC) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-

The .Deputy Director (Language) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹.15700/- P.M. (which shall be I to minimum of the pay band plus grade pay). An amount of ₹.. 480/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III)APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Principal Secretary/Secretary (LAC) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV)SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency .i.e. H.P. Public Service Commission.

(V)<u>COMMITTEE FOR SELECTION OF</u> CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission from time to time.

(VI)AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure "B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount i.e. ₹.15700/- P.M. (Which shall be equal to minimum of the pay band plus Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.480/- (3% of minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (C) Contract Appointee will be entitled for oneday casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- (d) Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government. / Registered medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are

		applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale. (h) Provision of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes/Other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental examination	Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18	Power to relax	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or person(s) or post(s).

Annexure-"B"

FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE DEPUTY DIRECTOR (Language) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

betwe	s agreement is made on this en Sh./Smt		S/o/D/o
Prade: SECO Where PART	act appointee (Here-in-after calle sh through Director, Language, A ND PARTY). as the SECOND PARTY has e Y has agreed to serve as a Deputy & conditions:-	Art & Culture, Himachal Prade engaged the aforesaid FIRS	esh (here -in-after called the T PARTY and the FIRST
1.	That the FIRST PARTY Shall rer Director (Language) for a	period of one year cending on the day of	ommencing on day of

- 2. The contractual amount of The FIRST PARTY will Rs.15700/- per month.
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
- 4. Contractual Deputy Director (Language) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Deputy Director (Language). He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- 5. Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Deputy Director (Language). Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- 6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

- 7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government. / Registered medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- 8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
- 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF and GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNEES 1	
(Name and full address)	
IN THE PRESENCE OF WITNEES	Signature of the Fire
(Name and full address)	

Signature of the Second Party

हिमाचल प्रदेश सरकार भाषा कला एवं संस्कृति विभाग।

संख्याः एल0सी0डी0-बी (1)-4/2011 तारीख शिमला-2,

1, अक्तूबर, 2012.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में उप निदेशक, (भाषा) वर्ग—।, (राजपत्रित)—, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध—'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, उप निदेशक (भाषा), वर्ग—1, (राजपत्रित)—, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 है ।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- निरसन और व्यावृत्तियां । 2 (1) अधिसूचना संख्या भाषा—ए(3)—18 / 86 तारीख 20 सितम्बर, 1988 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग उप निदेशक (भाषा), वर्ग—1, (राजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नित नियम, 1988 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।
 - (2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उपनियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (भाषा,कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार । पृ० संख्याः एल०सी०डी०.—बी(1)—4/2011 तारीख शिमला—2 1 अक्तूबर, 2012. प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 2. महालेखाकार (आडिट) हिमाचल प्रदेश, शिमला-3
- 3. निदेशक (भाषा-संस्कृति) हिमाचल प्रदश, शिमला-9.
- 4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला—5 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश(असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु ।
- 5. वित्तं विभाग (वित्तं विनिमय) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2.
- 6. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 7. संरक्षण नस्ति ।

अवर सचिव (भाषा—संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध—'क' भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश में उप—िनदेशक(भाषा) वर्ग—। ,(राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम :

1	पदं का नाम :	उप–निदेशक (भाषा)	
2	पदों की सख्या :	01 (एक)	
3	वर्गीकरण:	वर्ग –I (राजपत्रित)	
4	वेतनमानः	i) नियमित पदाधारियों के लिए वेतनमानः पे बैंड 10300—34800 रूपए जमा 5400 / —रूपए ग्रेड पे। ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 15700 / —रूपए स्तम्भ संख्याः15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।	
5	चयन पद अथवा अचयनः	चयन।	
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	45 वर्ष और उससे कमः परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं	
		होगीः परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:	
		परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष(आदेश / आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है ;	
		परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही	

7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए	रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे। (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है । (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव,हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा। (क) अनिवार्य अर्हता :— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पचास
		प्रतिशत अंको के साथ हिन्दी या संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण की हो। (ख) वांछनीय अर्हताएं :- i) पी०एच०डी० की उपाधि या हिन्दी, संस्कृत, पहाड़ी, पहाड़ी संस्कृति अथवा उर्दू में रचनात्मक या अनुसंधान कार्य प्रकाशित किया हो। ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीति—रिवाजों और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट
8	विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :	शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि

	कोई हो :	के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10	भर्ती की पद्धति:— भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति,स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता :	
11		सहायक निदेशक (भाषा) सहायक निदेशक(प्रकाशन), सम्पादक तथा व्युत्पतिविज्ञानी में से प्रोन्नित द्वारा,जिनका पाँच वर्ष का नियमित सेवा काल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सिमिलित करके पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। ऐसा न होने पर सहायक निदेशक(भाषा), सहायक निदेशक (प्रकाशन),सम्पादक तथा व्युत्पतिविज्ञानी में से प्रोन्नित द्वारा, जिनका सहायक निदेशक (भाषा), सहायक निदेशक (भाषा), सहायक निदेशक (प्रकाशन), सम्पादक,व्युत्पतिविज्ञानी और विष्ठ अनुसंधान सहायक/जिला भाषा अधिकारी के रूप में संयुक्ततः दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें सहायक निदेशक(भाषा), सहायक निदेशक(प्रकाशन), सम्पादक और व्युत्पतिविज्ञानी के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी। ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। दोनों के न होने पर, अन्य सरकारी विभागों में समरूप वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर। परन्तु प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए सहायक निदेशक(भाषा), सहायक निदेशक(प्रकाशन) सम्पादक और व्युत्पतिविज्ञानी की, उनके द्वारा अपने—अपने पद में की गई सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंनें जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण-I :— उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि. अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-II :- उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगें :-

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
- 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
- 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट ।
- 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
- कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
- 7. जिला किन्नौर ।
- 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त ।
- 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल—बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गौसाई, मठयानी, घनयाड़,

थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा,कथोग, सिल्ह—भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनांग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच — बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त आकर सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

ख(1) प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित, भर्ती और प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई किनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे

स्पष्टीकरण :

अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति

		के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमांबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वकेंसिज इन हिमाचल स्टेट नॉन टेक्निकल सर्विसिज) रूल्ज 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विस मैन (रिजर्वेशन ऑफ वकेंसिज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल सर्विसिज)रूल्ज 1985 के नियम(3) के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नित नियम के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12	l	विभागीय प्रोन्नित समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षाः :	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम

	T			
		आदि,यथास्थिति, आयोग /अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा		
	-:00	अवधारित किया जाएगा।		
15— क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :— 1. संकल्पनाः क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति विभाग में उप निदेशक (भाषा) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :		
		परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में बढ़ौतरी / नवीकरण के लिए सम्बद्घ विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि को नवीकृत / विस्तारित किया जाएगा।		
		ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:— प्रधान सचिव/सचिव, (भाषा, कला एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, अध्यपेक्षा को सम्बन्धित भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। ग) चयन, इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्ती के अनुसार किया जाएगा।		
		(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त उप निदेशक (भाषा) को 15700/—रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमाह संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 480/—रूपए की रकम (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन		

प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) <u>नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :</u> प्रधान सचिव/सचिव (भाषा,कला एवं संस्कृति), नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) <u>चयन प्रक्रिया</u> :

संविदा नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो, लिखित या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्घ भर्ती प्राधिकरण, अर्थात, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) <u>संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन</u> समिति :

जैसी सम्बन्द्ध भर्ती प्राधिकरण, अर्थात, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्ते :

क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15700/—रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में 480/—रूपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे विरष्ट/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया

अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है ,तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूर्ण पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (ड़) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यार्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी पद पर, जैसी नियमित पदधारी

		कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है,यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
		(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर एस.आर. छूट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।
16	आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुचित जनजातियों /पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा :	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय—समय पर यथासंशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण (पास) करनी होगी।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध(उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत शिाथिल कर सकेगी।